न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 02/2018 अपील 75 एल0आर0एक्ट

1. श्रीमती कस्तुरी पत्नि स्व0 बरदीचन्द सुनार निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भलवाड़ा।

–अपीलान्ट

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार आत्मज भैरूलाल सुनार
2. श्रीमती प्रेमलता पुत्री भैरूलाल सुनार
3. श्रीमती कोमल पुत्री भैरूलाल सुनार
4. श्रीमती सीतादेवी बेवा भैरूलाल सुनार
5. छीतमल आत्मज बरदीचंद सुनार
6. गोपाललाल आत्मज बरदीचंद सुनार
7. श्रीमती बदामी पुत्री बरदीचंद सुनार

सर्व निवासी लाखोला तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा।

–रेस्पोडेन्ट्स

वकिल अपीलान्टः– श्री ललित सुराणा

विपक्षी रेस्पोडेन्ट्सः– संख्या 01 आ0के0 अग्रवाल, संख्या 06, 07 जे0सी0 व्यास

अपील विरूद्व नामान्तरणकरण संख्या 798 दिनांक 28.10.1973 ग्राम लाखोला , ग्राम पंचायतत लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय

दिनांक 29.11.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम लाखोला तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में बरदीचन्द आत्मज नारायण सुनार निवासी लाखोला के खातेदारी अधिकार कब्जे की आराजियात संख्या 172/4 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, 174/3 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा भूमि राजस्व खाता संख्या 588 पर स्थित थी। खातेदार बरदीचन्द आत्मज नारायण सुनार का स्वर्गवास होने के बाद उनकी विरासत का नामान्तरणकरण संख्या 798 ग्राम पंचायत लाखोला द्वारा उनके पुत्र भैरूलाल , छीतरमल, गोपाललाल के नाम पर खोला गया जबकि मैं अपीलान्ट मृतक खातेदार बरदीचन्द की पत्नि हूं तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 बदाम मृतक खातेदार बरदीचन्द की जायन्दा पुत्री होकर हम मृतक बरदीचन्द के प्रथम श्रेणी के

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:09:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

वारिसान है। जिससे मृतक बरदीचन्द की उक्त आराजियात में मुझ अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या सात प्रत्येक का 1/5 वा हिस्सा बनता है। लेकिन ग्राम पंचायत लाखोला ने केवल मात्र बरदीचन्द के तीनों पुत्रो भैरूलाल, छीतरमल, गोपाललाल के नाम पर ही गलत रूप से नामान्तरकरण फैसल किया है। जिससे व्यथीत होकर मैं अपीलान्ट यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुक करती हूँ

1. यह कि उक्त नामान्तरकरण आदेश अधिनस्थ पंचायत सर्वथा खिलाफ कानून एवं वाकेयात के होकर काबिल निरस्ती के है।
2. यह कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 एक ही हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है जिनका सजरा निम्न प्रकार है:–

बरदीचन्द

| भैरूलाल पुत्रफौत | छीतरमल पुत्र | गोपाललाल पुत्र | बदाम पुत्री | कस्तुरी पत्नि |

भैरूलाल की संतान:

| राजन्द्र कुमार पुत्र | प्रेमलता पुत्री | कोमल पुत्री | सीतादेवी पत्नि |

उक्त सजरे अनुसार खातेदार बरदीचन्द के तीन पुत्र भैरूलाल, छीतरमल, गोपाललाल तथा एक पुत्री बदाम तथा एक पत्नि मै अपीलान्ट हूँ। जिससे खातेदार बरदीचन्द की आराजियात में मुझ अपीलान्ट का उपरोक्तानुसार 1/5 हिस्सा बनता है। यह कि अधिनस्त पंचायत ने अपीलान्ट को बिना नोटिस जारी किये एवं बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये उक्त नामान्तरणकरण आदेश पारित किया गया है जो काबिल निरस्ती के है। अधिनस्त पंचायत ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का हनन किया है।

यह कि ग्राम लाखोला तहसील सहाड़ा का नवीन भु – प्रबंध हो जाने से राजस्व खाता संख्या 588 में अंकित आराजियात किता 02 कुल रकबा 05 बीघा भुमि के नवीन आराजी संख्या 207 रकबा 0.29 हे0, 208 रकबा 0.79 हे0 कुल किता 02 रकबा 1.08 हे0 भूमि कायम कर वर्तमान संख्या 678 कायम किये गये है।

यह कि वादग्रस्त आराजियात पर अपीलान्ट सह काश्तकार के रूप में काबिज चली आ रही है तथा अपीलान्ट मृतक ब[illegible] की पत्नि होने से उसका वादग्रस्त आराजियात में हक व हिस्सा [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:09:38 IST
Reason: SelfAttested

2.

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

यह कि आराजियात जैर बहस ग्राम लाखोला के बेरून हल्का आबादी में स्थित होने से एवं नामान्तरणकरण ग्राम पंचायत लाखोला द्वारा गलत रूप से फैसल करने से अपील का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय आपको प्राप्त है।

अतः सादर प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत लाखोला द्वारा पारित आदेश 28.10.73 बाबत् नामान्तरण संख्या 798 ग्राम लाखोला को निरस्त फरमाया जावे व अपीलान्ट का 1/5 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट्स को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 6, 7 के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट 2 लगायत 5 के अधिवक्ता द्वारा अधिकार पत्र पेश नही व आवाजे लगवाने पर अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 6 व 7 द्वारा जवाब के पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाबदेही बंद की जाती है। उभयपक्ष बहस सुनी गई। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट संख्या 6,7 के अधिवक्ता द्वारा अपील स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जाहिर की ।

मेरे द्वारा उक्तानुसार विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं रेकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन किया गया । अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत लाखोला द्वारा पारित आदेश 28.10.73 बाबत् नामान्तरण संख्या 798 ग्राम लाखोला को निरस्त की जाकर प्रार्थीगण की अपील स्वीकार किया जाना उचित है। अतः

:: आदेश ::

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत लाखोला द्वारा पारित आदेश 28.10.73 बाबत् नामान्तरण संख्या 798 ग्राम लाखोला को निरस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। एंव तहसीलदार सहाड़ा को रिमाण्ड किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि निर्णय में वर्णित आब्जर्वेशन एवं दस्तावेज के अवलोकन में परिक्षण कर, उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नामांतरण दर्ज करना सुनिश्चित् करें।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया । पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर को लिखा जावे । पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:09:38 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner